पत्रांकः–बि0 उ0 सं0 (स्था0) 10/2013

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग,
सिविल विमानन निदेशालय,
बिहार उड्डयन संस्थान,
हवाई अड्डा, पटना – 800014. पटना दिनांक ...../...../2015.

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग अन्तर्गत बिहार उड्डयन संस्थान में संविदा के आधार पर सेवानिवृत सरकारी सेवकों से उड्डयन लिपिक के अराजपत्रित पद के विरूद्ध निम्नांकित अर्हत्ता धारक आवेदकों से टंकित आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2016 तक कार्यालय अवधि में आमंत्रित किये जाते हैंः–

1. **न्युनतम योग्यताः–** आई0 ए0/आई0 कॉम/आई0 एस0 सी0, टंकण–कार्य (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का ज्ञान।

1. **अर्हत्ताः–**उड्डयन लिपिक के कार्य का पूर्ण अनुभव के साथ–साथ उड़ान संबंधित विषयों का अनुभव प्रमाण पत्र।
2. **उम्र सीमाः–**विज्ञापन की तिथि को सेवानिवृत सरकारी सेवकों की आयु 64 या 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. **आरक्षण कोटीः–**सामान्य जाति (गैर आरक्षित)।
4. **वेतनमानः–**नियोजित व्यक्ति को मासिक मानदेय के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद शेष राशि भुगतेय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
5. **अन्य शर्तें एवं जानकारीः–**
    1. यह नियोजन केवल उड्डयन लिपिक पद के लिए किया जायेगा।
    2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष तक के लिए किया जायेगा।
    3. संविदा की अवधि की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
    4. नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
    5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित/अस्थायी अथवा स्थायी नियुक्ति या अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
    6. संविदा पर नियोजन के उपरान्त किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
    7. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
    8. नियोजन के पूर्व नियोजित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    9. इस नियोजन को संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दे कर या एक माह की संविदा राशि का एक मुस्त भुगतान कर समाप्त किया जा सकेगा।
    10. उड्डयन लिपिक के पद पर स्थायी नियुक्ति होने पर संविदा अवधि (Contract Period) पूरी न होने पर भी नियोजित व्यक्ति का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
    11. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त एकरारनामा की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
    12. आवेदन पत्र, बायोडाटा तथा प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक, बिहार उड्डयन संस्थान, हवाई अड्डा, पटना–800014. के पते पर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा दिनांक 20.01.2016 तक कार्यालय अवधि में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
    13. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सुयोग्य उम्मीद्वारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा तथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उन्हें किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
    14. संविदा पर नियोजन से सम्बन्धित जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.csd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

Sd/- 23.12.15

(शिव प्रकाश)
मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक